

# मध्यस्थता

समय की माँग



झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

न्याय सदन

ए.जी.ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची

दूरभाष : 0651-2481520, 2482392

फैक्स : 0651-2482397

ई-मेल : [jhalsaranchi@gmail.com](mailto:jhalsaranchi@gmail.com)

वेबसाइट : [www.jhalsa.org](http://www.jhalsa.org)

प्रकाशन वर्ष : 2015

यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट ([www.jhalsa.org](http://www.jhalsa.org)) पर भी उपलब्ध है।

(जनहित में जारी)

## मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता मध्यस्थ की सहायता से विवादों को निपटाने का एक प्रयास है, जो कि एक तटस्थ तृतीय पक्ष है। मध्यस्थ निम्नलिखित हो सकते हैं :-

- ☞ एक न्यायिक अधिकारी
- ☞ एक अधिवक्ता
- ☞ या कोई प्रशिक्षित पेशेवर

जब एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी किसी मुकदमे में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो उसकी सेवाएँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं और किसी पक्ष पर खर्च का भार नहीं पड़ता।

## मध्यस्थ क्या कार्य करता है ?

एक मध्यस्थ बातचीत के जरिए सभी पक्षों को मैत्रीपूर्ण तरीके से विवाद निपटाने में सहायता करता है। वह सभी पक्षों को आपस में स्वीकार करने योग्य करार दिलाने में मदद करता है। सभी पक्ष, अगर वे संतुष्ट न हों, तो उनके लिए समझौते की शर्तें मानना आवश्यक नहीं है।

न्यायाधीशों और पंचों के फैसले सभी पक्षों पर लागू होते हैं लेकिन मध्यस्थ सभी पक्षों को मुकदमे के संभावित निष्कर्ष का मूल्यांकन करने में मदद करता है ताकि वे स्वीकार करने योग्य समझौते तक पहुँच सकें।

## मध्यस्था सत्र में क्या होता है?

एक मध्यस्थ संयुक्त मध्यस्थता सत्र में दोनों पक्षों से मिलता है। आरम्भिक बैठक इस प्रकार आयोजित की जाती है।

- ☞ मध्यस्थता विधि तथा भागीदारों का परिचय।
- ☞ समझौते को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का एक अवसर, जो कि मध्यस्थ को जानना आवश्यक है।
- ☞ मध्यस्थता के समय अथवा उससे पूर्व कौन-कौन सी सूचनाएँ मध्यस्थ के लिए सहायक होंगी, को सुनिश्चित करने का अवसर।

संयुक्त सत्र हर भागीदार को यह अवसर प्रदान करता है कि वे स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपने विचारों को दूसरे पक्ष के सामने प्रकट करे कि कैसे वे समझौते तक पहुँचना चाहेंगे।

प्रारंभिक कथन समझौते की प्रक्रिया को शुरू करने के उद्देश्य से कहे जाते हैं, जो कि किसी के विरुद्ध या पुनर्कथन नहीं होते।

### **मध्यस्थता विधि**

मध्यस्थता कार्रवाई में न्यायालय या पंच की औपचारिक विधियाँ नहीं होती। दोनों पक्ष व उनके अधिवक्ता पहले से निर्धारित विधियों या कोई साक्ष्य के नियमों का पालन न करते हुए मुक्त रूप से भाग लेते हैं।

औपचारिकता के अभाव में उन्हें यह अवसर मिलता है कि वे मुद्दों पर खुले वातावरण में विचार-विमर्श कर सकें और अपने विचारों को एक-दूसरे के सामने प्रकट कर सकें ताकि वे अपने हित के पक्ष में निष्कर्ष निकलवा सकें।

अगर आवश्यक हो, तो एक मध्यस्थ, विवादित पक्षों से अकेले या निजी रूप से मिल सकता है। ऐसी बैठकें पूर्णतया गोपनीय होती हैं और इनका उद्देश्य सभी पक्षों की जरूरतों को समझाना होता है और उनके समझौते तक पहुँचने में क्या अड़चन है, यह समझाना होता है।

इन निजी बैठकों में, मध्यस्थ प्रायः सभी पक्षों को अपने हितों को ध्यान रखने में मदद करता है ताकि वे अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान सकें। एक बार जब समझौता हो जाता है तो मध्यस्थ उसको रिकार्ड करके उस पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर ले लेता है।

### **मध्यस्थ को मुकदमा कैसे सौंपा जाता है?**

अभी तो मध्यस्थता को केवल न्यायालय में लंबित मामलों में ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, संबंधित न्यायालय ही यह निर्णय ले सकता है कि किसी विशेष विवाद में किस मध्यस्थ को नामित किया जाए, जब तक कि मुकदमे के सभी पक्ष तटस्थ मध्यस्थता के लिए सहमत न हों, जिसमें कि उनका पूर्ण विश्वास है।

### **मध्यस्थता प्रक्रिया विधि के बारे में मुख्य विचार-बिन्दु**

न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है:-

- ☛ सभी मध्यस्थता की कार्रवाईयाँ गोपनीय होती हैं। मध्यस्थता से संबंधित बनाए गए कागजात भी गोपनीय होते हैं और अगर मुकदमे का फैसला न हो तो उन्हें आने वाले न्यायिक मुकदमे में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

- ❖ वकील और सभी पक्षों को, जिनके पास समझौते का अधिकार होता है, उन्हें मध्यस्थता के सभी सत्रों में भाग लेना चाहिए। कुछ सांस्थानिक और सरकारी पक्षों को इसमें छूट दी जा सकती है।
- ❖ जब तक कि न्यायाधीश न बताये तब तक, किसी मुकदमे का मध्यस्थता की तरफ भेजना मुकदमे की दूसरी कार्यवाहियों को स्थगित नहीं करेगा या मुकदमेबाजी के लिये प्रायोज्य निर्दिष्ट सीमा को नहीं बदलेगा। एक न्यायायिक अधिकारी, जब किसी मुकदमे को मध्यस्थता की तरफ भेजेगा, तब वहाँ मध्यस्थता की कार्यवाही को पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित कर सकता है।

### **मध्यस्थता प्रणाली की सत्यनिष्ठा को कौन सुरक्षित रखता है?**

मध्यस्थता की सूचना गोपनीय होती है और उसके बारे में मुकदमे को सुनने वाले न्यायाधीश को बताना आवश्यक नहीं होता। सभी पक्ष किसी लंबित मामले में भी इस सूचना का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के नियम बनाये हैं, जो किसी के मांगने पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

### **क्या मध्यस्थ के लिए कोई दिशा-निर्देश है?**

- ❖ एक मध्यस्थ को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पक्षों को मध्यस्थ की भूमिका तथा मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है और सभी पक्ष समझौते की शर्तों को समझते हैं।
- ❖ मध्यस्थ को प्रत्येक पक्ष की स्वैच्छिक सहभागिता को सुरक्षित रखना चाहिए।
- ❖ किसी विशेष मामले की मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थ को सक्षम होना चाहिए।
- ❖ एक मध्यस्थ को प्रक्रिया की गोपनीयता को बरकरार रखना चाहिए।

### **मध्यस्थता किस प्रकार पुराने मामलों को कम कर सकती है?**

एक सांस्थानिक वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) न्याय की प्रक्रिया को बड़े समय से लंबित मामलों और

ऐसे विवाद, जो अभी परीक्षण-पूर्व स्थिति में है, मध्यस्थता में भेजकर तेज कर सकती है।

इस प्रकार मुकदमों का निर्णय, पूर्ण-परीक्षा प्रक्रिया को न अपनाते हुए, मुकदमेबाज एवं न्यायालय-सत्र, पूर्व-परीक्षण में व्यतीत होने वाले अनावश्यक विलम्ब से बचने में समर्थ हैं।

अधिकतर विकसित देशों में जहाँ वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) मजबूत है, वहाँ 70 और 90 प्रतिशत के बीच मुकदमे बिना न्यायालय परीक्षण से सुलझा लिए जाते हैं। जबकि भारत में केवल 10 प्रतिशत न्यायालय मुकदमे इस प्रकार सुलझाए जाते हैं और 90 प्रतिशत न्यायालय परीक्षण द्वारा सुलझाये जाते हैं। यह भारत की न्याय-प्रणाली पर बहुत बड़ा बोझ है।

## **अधिवक्ताओं के लिए मध्यस्थता के क्या लाभ हैं?**

मध्यस्थता के द्वारा समझौते से अधिवक्ता भी यह महसूस करेंगे कि वादकारों की संतुष्टि बहुत ज्यादा बढ़ेगी।

वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान यह पसंद करते हैं कि उनका कम समय मुकदमों में लगे और उन्हें ज्यादा समय व ताकत अपने व्यवसाय में लगाने के लिए उपलब्ध रहे। पहले जब वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कुछ मुकदमों में जल्दी व प्रभावी तरीके से मध्यस्थता के द्वारा सुलझ जायेंगे तो वे दुबारा अधिवक्ताओं को और मुकदमे जल्दी समझौते के लिए दायर करने के लिए नियुक्त करेंगे। इस कारण से मुकदमों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी और उसी अनुसार अधिवक्ताओं का व्यावसायिक कार्य भी बढ़ेगा।

बांग्लादेश में न्यायिक प्रणाली मध्यस्थता के द्वारा मुकदमों के समझौतों ने समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए भी द्वार खोल दिए हैं जो पहले न्यायिक प्रणाली से भयभीत हुआ करते थे और सामान्यतः मुकदमों को दायर करने से हिचकिचाते थे। मध्यस्थता ने उन लोगों के लिए जो सिविल मामलों (तलाक, दहेज, छोटे वित्तीय मामले इत्यादि) का जल्दी निपटान चाहते थे, उनके लिए काम के नए आयाम खोल दिए हैं। अधिवक्ता जो इन मामलों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने भी यह पाया है कि जल्दी मुकदमों के निपटारे ने उन्हें व्यवसाय के नए अवसर दिए हैं।

अमेरिका के बड़े शहरों में अधिवक्ताओं ने अपने अनुभव से यह पाया है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सुधर

सकती है। अगर वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाए। इसका कारण यह है कि वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) के साथ, अधिवक्ता ज्यादा मुकदमों का संचालन कर सकते हैं और वादकार भी ज्यादा मुकदमों दायर करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार मुकदमों मिलने की संख्या बढ़ जाती है और साथ में वादकारों की संतुष्टि भी बढ़ जाती है। निःसंदेह, सभी मुकदमों का फैसला वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) में नहीं होता और सभी मुकदमों वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) में सुलझते भी नहीं। इसलिए जो विवाद वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) में नहीं सुलझ सकते उनकी नियमित न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय में चलती रहती है।

- ☛ अंत में, ऐसा कुछ भी नहीं कि वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) के न्यायिक प्रक्रिया में आगमन से अधिवक्ताओं की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसके बजाय वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) ने उनके व्यावसायिक अवसरों को बढ़ा दिया है।

## **वादकारियों के लिए मध्यस्थता के क्या लाभ हैं?**

### **ज्यादा संतोषजनक परिणाम:**

- ☛ सारे मुकदमों या उसके किसी भाग को न्यायिक परीक्षण की अपेक्षा जल्दी निपटाने में सहायता करता है।
- ☛ पारस्परिक स्वीकार करके योग्य परिणाम दिलवाता है जो कि न्यायालय के पास आदेश देने का अधिकार नहीं है।
- ☛ समय और पैसा बचाता है।
- ☛ चलते हुए व्यवसाय या व्यक्तिगत रिश्तों को सुरक्षित रखता है।
- ☛ संतुष्टि बढ़ाता है, जिससे ज्यादा अच्छे समाधान की उम्मीद बढ़ जाती है।

### **ज्यादा लचीलापन, नियंत्रण व भागीदारी**

- ☛ उन विधियों को बनाता है जिससे समाधान पाने में सहायता मिलता है।

- ☞ सोच-विचार करके हित पाने के दायरे को बढ़ाता है।
- ☞ एक व्यवसाय की तरह रचनात्मक हल दिलवाता है जो न्यायालय से नहीं मिल सकते।
- ☞ गोपनीयता को सुरक्षित रखता है।
- ☞ मुकदमों के जोखिम को समाप्त करता है।

### **वाद के सन्दर्भ में अधिक जानकारी देता है :**

- ☞ मुवकिलों को अवसर प्रदान करता है कि वे अपने विचारों को सीधे और अनौपचारिक तरीके से प्रस्तुत कर सकें।
- ☞ सभी पक्षों को मुकदमे के जरूरी तथ्यों और विवादित तथ्यों को समझने में मदद करता है।
- ☞ सभी पक्षों को सीधे ही मुख्य सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुँचाने में सहायता करता है।

### **मुकदमे के प्रबंधन में सुधार करता है**

- ☞ विवाद के तथ्यों को कम करता है और सहमति एवं असहमति को स्पष्ट करता है।

### **बैर कम करता है**

- ☞ सभी पक्षों में सम्प्रेषण की शैली व क्षमता में सुधार लाता है।
- ☞ मुवकिल और अधिवक्ता में बैर कम करता है।
- ☞ सभी पक्ष जो समझौते के प्रति प्रयास करते हैं, उनमें खतरे को कम करता है।

### **मध्यस्थ बनने के लिए प्रशिक्षण की प्रकृति व अवधि क्या है?**

इस प्रशिक्षण की योग्यता के लिए एक अधिवक्ता को बार का सदस्य अवश्य होना चाहिए।

प्रत्येक अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा संचालित 40 घंटे का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक अवश्य पूरा करना चाहिए, जो कि मध्यस्थता कार्यक्रम का इतिहास और उद्देश्य बताता है, मध्यस्थता की तकनीकें तथा दक्षता के बारे में प्रशिक्षण दिलाता है। प्रशिक्षणार्थियों से अपनी मुख्य भागीदारी निभाने की उम्मीद की जाती है जिसमें मुख्यता मध्यस्थता में अपने वाली कठिन कार्यवाहियों और नैतिक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है।

## झारखण्ड मध्यस्थता केन्द्र

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झारखण्ड) द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के सहयोग से अभी तक झारखण्ड राज्य में कुल 23 जिलों में मध्यस्थता केन्द्र खोले गये हैं जिनमें जमशेदपुर, हजारीबाग, कोडरमा एवं देवघर में "न्याय-सदन" परिसर में मध्यस्थता केन्द्र संचालित हैं जबकि अन्य जिलों में वर्तमान में जिला न्यायालय परिसर में ही मध्यस्थता केन्द्र चल रहे हैं।

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची का मध्यस्थता केन्द्र वर्तमान में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के "न्याय सदन" परिसर में संचालित हो रहा है। राज्य के 24वें जिले "रामगढ़" में मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया जारी है तथा शीघ्र ही इस जिले में मध्यस्थता केन्द्र स्थापित कर लिया जायेगा।

इन मध्यस्थता केन्द्रों में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता जो "Mediation and Conciliation Project Committee" (MCPC), नई दिल्ली के अनुभवी प्रशिक्षकों से 40 घंटे के गहन मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हैं एवं मध्यस्थ के रूप में इस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने में सफल योगदान दे रहे हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के कुशल नेतृत्व एवं सहयोग से ये मध्यस्थता केन्द्र सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित हैं। इन केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी शिष्टाचार एवं मित्रवत् व्यवहार में कुशल हैं।

मध्यस्थता केन्द्रों के उद्देश्यों की सफलता के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की "Mediation and Conciliation Project Committee" (MCPC) के द्वारा झारखंड में दो पायलट मेडिएशन केन्द्र के रूप में जमशेदपुर एवं रांची मध्यस्थता केन्द्र को विकसित किया जा रहा है। इन केन्द्रों में मध्यस्थ एवं रेफरल न्यायिक पदाधिकारियों के बीच विभिन्न पायलट मेडिएशन प्रोग्राम, एओआरसीओएमओ प्रोग्राम आदि चलाए जा रहे हैं। झारखण्ड द्वारा, झारखण्ड न्यायिक अकादमी के सहयोग से अब तक लगभग 111 न्यायिक पदाधिकारियों एवं 188 अधिवक्ताओं को मध्यस्थता का 40 घंटे का गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं मध्यस्थता के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम तथा मध्यस्थता संबंधी जागरूकता शिबिर का आयोजन मध्यस्थता के लाभ की जानकारी देने हेतु आयोजित किए जा रहे हैं।

झारखंड उच्च न्यायालय के अन्तर्गत मध्यस्थता मॉनिटरिंग समिति माननीय न्यायमूर्ति श्री जी0 एन0 पटेल, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की अध्यक्षता में कार्यरत है जिनके कुशल नेतृत्व में राज्य के सभी मध्यस्थता केन्द्रों द्वारा अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन निरन्तर किया जा रहा है।

| Details of Cases Received, Settled at different Mediation Centres<br>(From the month of January 2015 to August, 2015) |          |         |           |              |                 |  |              |
|---|----------|---------|-----------|--------------|-----------------|--|--------------|
| No. of Mediation Centres  | Referral | Settled | Unsettled | Non Starters | Connected Cases | Average disposal for the last eight months | % of success |
| Bokaro  | 318      | 71      | 100       | 48           |                 | 9  | 41.52%       |
| Chaibasa  | 69       | 16      | 31        | 25           |                 | 2  | 34.04%       |
| Chatra  | 223      | 42      | 46        | 51           |                 | 5  | 47.72%       |
| Deoghar   | 319      | 125     | 111       | 31           | 8               | 16   | 52.96%       |
| Dhanbad   | 616      | 146     | 138       | 305          |                 | 19   | 51.81%       |
| Dumka   | 154      | 19      | 47        | 81           | 4               | 2  | 28.78%       |
| Garhwa  | 931      | 169     | 351       | 03           |                 | 21   | 32.50%       |
| Gedih   | 296      | 74      | 93        | 109          |                 | 8  | 44.31%       |
| Golconda  | 93       | 32      | 34        | 21           |                 | 4  | 48.48%       |
| Gumla   | 75       | 16      | 19        | 8            |                 | 2  | 46.71%       |
| Hazaribagh  | 203      | 58      | 115       | 7            |                 | 7  | 33.52%       |
| Jamshedpur  | 688      | 138     | 123       | 25           | 2               | 17   | 62.07%       |
| Jamtara   | 48       | 6       | 03        |              |                 | 1  | 72.72%       |
| Koderma   | 97       | 16      | 67        |              |                 | 2  | 19.27%       |
| Latehar   | 30       | 10      | 14        | 01           |                 | 1  | 41.66%       |
| Lohardagga  | 37       | 16      | 21        |              |                 | 2  | 43.24%       |
| Pakur   | 156      | 18      | 20        | 06           |                 | 02   | 47.36%       |
| Palamu  | 425      | 75      | 110       | 79           |                 | 08   | 40.54%       |
| Ranchi  | 541      | 267     | 188       | 86           |                 | 33   | 58.68%       |
| Sahibganj   | 148      | 54      | 50        |              |                 | 01   | 51.92%       |
| Seraikella  | 26       | 08      | 03        |              |                 | 02   | 72.72%       |
| Simdega   | 26       | 16      | 10        |              |                 |  | 61.53%       |
| Khunti  | 28       | 6       | 22        | 25           |                 |  | 21.42%       |
| JHC Med. Centre   | 108      | 40      | 52        | 16           |                 | 05   | 43.47%       |
| Total   | 5157     | 1443    | 1718      | 927          | 14              |  | 46.65%       |

Average Percentage of Jharkhand: 46% approx

झारखण्ड राज्य में मध्यस्थता केन्द्रों के माध्यम से हजारों मामलों का निपटारा निरन्तर किया जा रहा है। आशा ही नहीं विस्था है कि समय के साथ विवादों और झगड़ों में उलझी जनता में मध्यस्थता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही साथ मध्यस्थता केन्द्र तेजी से प्रगति करेंगे तथा चिरकाल से लंबित मामलों के सद्भावपूर्ण, शीघ्र एवं बिना खर्च के विवादों को निपटारने के अपने उद्देश्य में सफल होंगे।